न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 169 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 271

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

शैतानसिंह पुत्र वेणीदान

जाति चारण

निवासी महादेव कोलानी, बालोतरा

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.जान आलम पुत्र इस्माईल
जाति छींपा निवासी बालोतरा

2.अशोक कुमार पुत्र मच्छाराम
जाति सुथार निवासी बालोतरा

3.गीता देवी पत्नी भरत कुमार
जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा

4.गीतिका पत्नी अजयचन्द
जाति राजपुरोहित निवासी बालोतरा

5.घेवरचंन्द पुत्र वरजोगाराम
जाति कलबी निवासी राजेश्वर नगर

6.चैनाराम पुत्र गोरखाराम
जाति जाट निवासी आगोलाई

7.देदाराम पुत्र गोरखाराम
जाति जाट निवासी आगोलाई

8.देवाराम पुत्र जुगताराम
जाति जाट निवासी आगोलाई

9.नेमाराम पुत्र कोलाराम
जाति सुथार निवासी बालोतरा

10.प्रकाश कुमार पुत्र कालुराम
जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा

11.पीराराम पुत्र चुतराराम
जाति जाट निवासी आगोलाई

12.भंवरलाल पुत्र कालुराम
जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा

13.योगेश कुमार पुत्र मदनलाल
जाति ओसवाल निवासी बालोतरा

14.शंकरलाल पुत्र नैनाराम
जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बालोतरा

15.शम्भूराम पुत्र रामाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जाति जाट निवासी ढाढणीया

16.शोभाराम पुत्र कानाराम

जाति जाट निवासी ढाढणीया

17.संतोष देवी पत्नी विष्णुदास

जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा

18.गीता देवी पत्नी पुरुषोतम

जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा

19.जेठाराम पुत्र प्रागजी

20.पुखराज पुत्र प्रागजी

21.बंशीलाल पुत्र प्रागजी

22.मोहनलाल पुत्र प्रागजी

जाति कुम्हार (प्रजापति)

निवासी बालोतरा

23.नगर परिषद, बालोतरा जरिए आयुक्त,

नगर परिषद, बालोतरा

23.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री प्रियतम आजाद अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 20 से 22

3.विप्रार्थी संख्या 1 से 19 व 23

<u>आदेश</u>

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

दिनांक 14.01.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जैरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 923/288 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम जैरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 923/288 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 6 से 8 व 11,14 से 16 व 18,23 एवं 24 नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। शेष विप्रार्थी की दैनिक अखबार में छायाकंन करवाई गए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जैरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 923/288 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जैरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 923/288 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जैरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 923/288 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सह–खातेदार है,और रिकार्डड सह–खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.6.2024

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी सह–खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थी की सह–खातेदारी भूमि ग्राम जैरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 923/288 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। नेखमबंदी की आड़ में यदि अवैध कब्जा पाया जाता है,तो उक्त आदेश की आड़ में कब्जा हटवानें की कार्यवाही नहीं की जावें। उसके लिए प्रार्थी विधि में निहित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14.01.2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

14/01/2025